राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– ई–18/एम–2137/नियु0/मृआ/2025/ दिनांकः–

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन याचिका संख्या 10315/2022) रीना कुशवाह पत्नी स्व0 श्री लोकेश सिहं बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 03.07.2024 की पालना में राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम–1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में **श्रीमती रीना कुशवाह पत्नी स्व0 श्री लोकेश सिहं जिनकी जन्म दिनांक 20.07.1987 है** का पदस्थापन **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के अधीन** कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर किया जाता है। परिवीक्षा की कालावधि के दौरान कनिष्ठ सहायक को राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांकः एफ15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.17 के द्वारा नियत 14600/– रूपये मासिक पारिश्रमिक संदत्त किया जावेगा। परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर कनिष्ठ सहायक का नियमित वेतनमान लेवल इन पे–मेट्रिक्स एल–5 अनुज्ञात किया जावेगा।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 9 के अन्तर्गतमृतक आश्रित के रूप में नवनियुक्त आश्रित कनिष्ठ सहायक को सरकारी सेवा में नवनियुक्ति पर प्रथम उपस्थिति के समय अपनी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा का शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उक्त आवेदक का संबंधित अधिकारी नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं प्रागवृत्ति सत्यापन जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवायें, परन्तु नियुक्ति में प्रथम उपस्थिति के समय राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 17 के अन्तर्गत अपने चरित्र के संबंध में उस विद्यालय का जिसमें अंतिम शिक्षा पायी है, के प्रधान शैक्षिक अधिकारी का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा साथ में दो चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पूर्व के न हो, ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो विद्यालय से संबंधित न हो और न कोई रिश्तेदार हो। इनके द्वारा कार्यग्रहण करते समय सम्बन्धित अधिकारी को अपनी जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रादि प्रस्तुत करने होंगें। जिसकी जांच एवं संतुष्टि के उपरान्त ही सम्बन्धित अधिकारी इन्हें कर्त्तव्य पर लेंगे।मृतक आश्रित आवेदक द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से आवश्यक रूप से करवाये।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अध्ययधीन पेन्शन नियम लागू होंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प05(51)/कार्मिक/क–2/88 दिनांक 27.02.2001 के अन्तर्गत मृतक आश्रित कनिष्ठ सहायक मृतक के पारिवारिक सदस्यों का उचित तौर पर भरण–पोषण करेंगे। नियुक्ति के पश्चात किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरण–पोषण नहीं किया जा रहा है तो शासन की इस अधिसूचना के अन्तर्गत इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी ।

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।

आश्रित की अनुकम्पा नियुक्ति के कम में संबंधित नियंत्रण अधिकारी/आश्रित द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में गलत तथ्य या विसंगति पाई गई तो यह अनुकम्पा नियुक्ति आदेश उस संबंधित आवेदन की सीमा तक प्रारम्भ से ही शून्य होगा।

आश्रित को नियुक्ति दिये जाने का इन्द्राज मृतक की सेवा पुस्तिका में करें। इन्हें नियुक्ति आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि में कार्यग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा इस अवधि के पश्चात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे।

उक्त नियुक्ति वित्त विभाग के परिपत्र/ज्ञापन कमांक एफ1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 कंमांक एफ.16(2)एफडी/नियम/98 दिनांक 13.03.2006 कंमाक एफ.12(6) एफडी/नियम/05 दिनांक 13.03.2006 एवं कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र कमांक प.(1) कार्मिक/(क–2)/2016 दिनांक 15.07.2016 के प्रावधानों एवं प्रकरण में पुलिस थाना आर के पुरम, कोटा में दायर वाद सं. 227 में बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यातमक टिप्पणी पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्र0सं0 3 कोटा द्वारा पारित आदेश के अध्यधीन होगी।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर

कमांकः– ई–18/एम–2137/नियु0/मृआ/2025/119 दिनांकः– 08.03.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राज0 जयपुर ।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुंप–3) विभाग, राज0 जयपुर।
5. श्री विज्ञान शाह अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
7. उप विधि परामर्शी मुख्यालय।
8. केस प्रभारी अधीकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा ।
9. रीना कुशवाह पत्नी स्व0 श्री लोकेश सिहं, लैब टेक्नीशियन , मकान नं. 421, गणेश नगर, कोटा।
10. प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Document certified by
RAKESH KUMAR SHARMA
Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
rakeshsharma@gmail.com
Designation : Director
Date :07-03-2025 08:22:51